

:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, भोपाल (म0प्र0) ::

दूरभाष क्रमांक-2730395 Email address - deobhopal@gmail.com

क्रमांक/2259/निविदा/भा.निर्वा./2018

भोपाल, दिनांक 06/09/2018

—: अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना :-

(फ्लैक्स बैनर)

आगामी विधानसभा निर्वाचन, 2018 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 149-बैरसिया, 150-भोपाल उत्तर, 151 -नरेला, 152- भोपाल दक्षिण पश्चिम, 153 भोपाल-मध्य, 154-गोविन्दपुरा एवं 155 हुजूर के लिए विभिन्न फ्लैक्स बैनर के मुद्रण (प्रिंटिंग) हेतु दर प्रति नग के मान से सीलबंद निविदाएं, संलग्न शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती हैं ।

अतः इच्छुक व्यवसायी दिनांक 20/09/2018 को अपरान्ह 03:00 बजे तक अपनी निविदाएं कलेक्टर कार्यालय की भारत निर्वाचन शाखा में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 20/09/2018 तक राशि रुपये-500/-निर्वाचन मद-"0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 02-चुनाव, 800-अन्य प्राप्तियाँ" में चालान के माध्यम से जमा करप्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ निविदाकार को धरोहर राशि रुपये 20000/- (राशि बीस हजार रु. मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। निविदा शर्तें एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवसों एवं समय में दिनांक 20/09/2018 के पूर्व तक प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त निविदाएं समिति के सदस्यों एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष दिनांक 20/09/2018 को सायं. 04:00 बजे खोली जावेगी।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(भा.निर्वा.) जिला-भोपाल
भोपाल, दिनांक 06/09/2018

पृ.क्रमांक/2260/निविदा/भा.निर्वा./2018

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर भेजते हुए लेख है कि कृपया विज्ञप्ति प्रदेश स्तरीय एवं दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कर, समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय की प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. नोडल अधिकारी सामग्री प्रबंधक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी बैरसिया, गोविन्दपुरा, बैरागढ, हुजूर, टी.टी नगर, एम.पी नगर एवं शहर भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन अपने कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।
7. जिला सूचना अधिकारी भोपाल की ओर वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. जिला निर्वाचन कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर चस्पा।
9. जिला नाजिर, कलेक्टोरेट भोपाल की ओर सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(भा.निर्वा.) जिला-भोपाल

प्रपत्र-1
फ्लैक्स बैनर के मुद्रण (प्रिंटिंग) कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

1	निविदाकार का नाम	
2	निविदाकार फर्म के प्रोपराईटर का नाम एवं मोबाइल नंबर	
3	निविदाकार फर्म का पता	
4	निविदाकार फर्म का स्थानीय पता, मोबाइल नंबर	
5	स्थापना अधिनियम के अन्तर्गत फर्म/दुकान का पंजीयन नंबर (पंजीयन आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जावे)	
6	निविदाकार का आयकर (पैन नम्बर)	
7	निविदाकार का जी.एस.टी.नंबर	
8	निविदाकार का संगठन (स्वयं/संगठन/साझेदारी की संख्या)	
9	कार्य का अनुभव	
10	फर्म का ईमेल आईडी एवं निविदाकार का आधार नंबर	
11	फर्म की विगत तीन वर्षों की आयकर विवरणी	
12	धरोहर राशि का विवरण 1. बैंक का नाम 2. बैंक ड्राफ्ट नम्बर 3. दिनांक 4. राशि रूपये	
13	निविदाकार का नाम, खाता क्रमांक एवं बैंक आयएफएससी कोड (बैंक पास बुक की छायाप्रति संलग्न करे)	

हस्ताक्षर नाम सील सहित

--: प्रपत्र-2 :-

मैं हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे निविदा प्रपत्र में दी गयी जानकारी सत्य है। मैं/हम अपने कार्य का पूर्ण निष्ठा के साथ एवं राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए पूर्ण करेंगे तथा ऐसे कोई भी कृत्य नहीं करेंगे जिससे महत्वपूर्ण संवैधानिक निर्वाचन संबंधी कार्य के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

स्थान एवं दिनांक

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....
मोबा. नम्बर.....

प्रपत्र-3

फलैक्स बैनर मुद्रण कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

क्रमांक	फलैक्स बैनर	दर प्रति वर्ग फिट
1	मल्टिकलर फलैक्स बैनर मुद्रण प्रति वर्गफीट (कार्नर होल बटन सहित) आयोग से प्राप्त नमूना अनुसार	
2	सिंगल कलर फलैक्स बैनर प्रति वर्गफीट (कार्नर होल बटन सहित) आयोग से प्राप्त नमूना अनुसार	
3	बैनर पट्टी स्लोगन हेतु (साईज एवं नमूना निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार)	
4	बैनर कपड़े का सिंगल कलर प्रति वर्गफीट	
5	बैनर कपड़े का मल्टिकलर प्रति वर्गफीट	
6	बैनर डिजाईन सहित सिंगल कलर प्रति वर्गफीट	
7	बैनर डिजाईन सहित मल्टिकलर प्रति वर्गफीट	

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

मोबाइल नम्बर.....

—: निविदा की शर्तें :-

01. निविदा बंद लिफाफे में प्राप्त की जावेगी, जिस पर सुस्पष्ट अक्षरों में "विधानसभा निर्वाचन, 2018 के लिए फ्लैक्स बैनर मुद्रण (प्रिंटिंग) कार्य हेतु निविदा" अंकित कर आवश्यक अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रतियों सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
02. निविदा के साथ रूपये 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला-भोपाल के नाम से देय संलग्न होना आवश्यक है।
03. प्रति वर्गफिट के मान से फ्लैक्स बैनर की मुद्रण की दर पृथक-पृथक दर्शायी जावे।
04. प्रत्येक निविदा निर्धारित दिनांक एवं निर्धारित समय तक कार्यालय में प्रस्तुत होना चाहिये। निविदा तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।
05. निविदा की उचित दर प्राप्त न होने की दशा में निविदाएं अस्वीकृत कर पुनः निविदाएं आमंत्रित करने का अधिकार कलेक्टर, जिला भोपाल को रहेगा।
06. छपाई के संबंध में नमूने जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रदाय किए जाएंगे। मुद्रण (प्रिंटिंग) के पूर्व प्रुफ रीडिंग आवश्यक रूप से चैक करवाना मुद्रक के लिए आवश्यक होगा।
07. फ्लैक्स ,बैनर मुद्रण हेतु उपयोग में ली जाने वाली शीट उच्च गुणवत्ता युक्त होना अनिवार्य है। यदि मुद्रण पश्चात् प्रिन्ट की गई सामग्री की क्वालिटी घटिया पाई जाती है तो नियमानुसार कटौती किया जावेगा।
08. कार्यालय द्वारा दिये गये आदेश पर 01 दिवस के भीतर आदेशनुसार संख्या मुद्रित कर सामग्री कार्यालय अथवा नियत स्थान पर प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
09. मुद्रण हेतु निर्धारित अवधि व्यतीत होने उपरांत 15 प्रतिशत तक पेनेल्टी बिल में से की जावेगी, जो निविदादाता को मान्य होगी। स्वीकृत निविदाकार को स्वयं के व्यय से रु. 500/-का अनुबंध संपादित करना होगा।
10. निविदादाता द्वारा जिस दर पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा कि उस दर में समस्त प्रकार के कर/खर्च सम्मिलित है।
11. गुण दोष के आधार पर बिना कारण बताये निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी जिला भोपाल को होगा।
12. किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल का होगा।
13. सफल निविदाकार यदि समय पर सामग्री प्रदान नहीं कर सका तो सामग्री बाजार से मुद्रण करवाई जावेगी, जिसके अधिक भुगतान व लाने ले जाने में होने वाला व्यय सफल निविदाकार से भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूल किया जावेगा एवं उसकी प्रतिभूति राजसात कर ली जावेगी। यदि उक्त व्यवधान से निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचती है तो निविदाकार अन्य आर्थिक दण्ड या वैधानिक कार्यवाही का भागी होगा।
14. निविदा शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर प्रतिभूति राशि राजसात की जाकर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल रहेगा।
15. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात यदि निर्वाचन आयोग द्वारा नवीन निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो सेवा प्रदाता ऐसे समस्त निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

SP
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(भा.निर्वा.) जिला-भोपाल

प्रपत्र -4

प्रमाणपत्र-

- 1- मैं प्रमाणित/हम/ करते हैं कि निविदा प्रपत्र में दी गई जानकारी पूर्णत है।सत्य :
- 2- मेरे अथवा मेरे किसी निकट संबंधी का किसी भी राजनैतिक दल अथवा मेरे द्वारा प्रस्तुत की जा रही निविदा में उल्लेखित क्षेत्र से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है मैं यह भी वचन देता हूँ कि यदि भविष्य में मेरे अथवा मेरे किसी निकट संबंधी राजनैतिक दल अथवा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध निर्मित होता है तो मैं उसकी अविलम्ब लिखित सूचना किसी भी परिस्थिति में 24 घण्टे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रस्तुत करूंगा।
- 3- मैं अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ एवं राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए पूर्ण करूंगा एवं ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करूंगा जिससे निर्वाचन की निष्पक्षता एवं निर्विघ्नता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े

स्थान

दिनांक.....

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम

र्म का नामफ

फर्म का पता

निवास का पता

फर्म का दूरभाष नंबर.....

निवास का दूरभाष नंबर

मोबाईल नंबर.....

